27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार श्रीमति शारदा देवी गिनवाल, सिस्टर के राज्य पुनरावंटन पर विचार ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे श्रीमति शारदा देवी गिनवाल, सिस्टर के प्रकरण पर विचार किया गया । माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 105/2011 मे पारित आदेश दिनांक 21.07.2011 के तहत श्रीमति गिनवाल के आवंटन पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था । तदुपरान्त मामले मे परामर्शी समिति की बैठकों मे लगातार विचार किया जा रहा है । प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि श्रीमति शारदा देवी गिनवाल के पति कख्या सेवक के पद पर क्षयरोग आश्रम, भवाली, उत्तराखंड मे कार्यरत हैं तथा श्रीमति गिनवाल उत्तराखंड के विकल्पी है परंतु पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिक नही हैं । अतः समिति द्वारा श्रीमति गिनवाल का राज्य पुनरावंटन उनके विकल्प के अनुसार महिला कार्मिक होने के नाते उत्तराखंड राज्य मे किए जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत हे तथा तदनुसार श्रीमति शारदा देवी गिनवाल, सिस्टर का राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड राज्य मे किया जाता है।

3. संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
26 JUN 2013
जारी किया/ISSUED

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।